राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांक प. 17(17) गृह–10 / 2015

जयपुर, दिनांक 11.9.2015

सलाहकारी (Advisory)

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि राज्य के विभिन्न कारागारों में इस प्रकार के बन्दी निरूद्ध है, जिन्हें कठोर अपराधी की श्रेणी में माना जाता है। यह भी सामने आया है कि ऐसे कई बंदियों के एक से अधिक प्रकरण जिले विशेष में अथवा राज्य के कई न्यायालयों में विचाराधीन है। ऐसे बंदियों को उक्त प्रकरणों में सुनवाई के लिए विभिन्न न्यायालयों में समय–समय पर ले जाने में अत्यधिक मानव संसाधन का अनिवार्य रूप से उपयोग करना पड़ता है तथा ऐसी यात्राओं में जोखिम / कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को मध्यनजर रखते हुए, संबंधित प्रकरणों का भलीभांति गुणावगुण के आधार पर परीक्षण के पश्चात् विवेकानुसार पुलिस महानिदेशालय / पुलिस आयुक्त / जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानानुसार निम्न सम्भावित कार्यवाही की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:–

1. जहां किसी बन्दी के विरूद्ध एक ही जिले के विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन है उस स्थिति में धारा 408 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त संबंधित लोक अभियोजक की मार्फत संबंधित सेंशन न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रेषित कर सकते हैं कि सुरक्षा तथा सुविधा को मध्यनजर रखते हुए उस बन्दी से संबंधित सभी प्रकरणों को जिला स्तर के सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाये ताकि बन्दी को संबंधित जेल से केवल मात्र न्यायालय तक लाने–ले–जाने की आवश्यकता रहे। साथ ही यह भी सुझाव दिया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि उक्त बन्दी से संबंधित सभी अथवा ज्यादातर प्रकरणों की सुनवाई एक दिवस में एक साथ ही रखी जावे। इस प्रकिया की समीक्षा / मॉनिटरिंग जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त कारागार प्रशासन के साथ करें। यह प्रकिया

नियमित रूप से की जाये ताकि इस प्रकिया से पूरी सुव्यवस्था स्थापित की जा सके।

2. जहां एक बन्दी के विरूद्ध राज्य के एक से अधिक जिलों में न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन है उस अवस्था में पुलिस महानिदेशालय एवं जेल महानिदेशालय आपस में परामर्श उपरान्त धारा 407 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता की मार्फत उच्च माननीय न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें कि संबंधित बन्दी के सभी प्रकरणों की सुनवाई एक ही निर्दिष्ठ न्यायालय में हो, जिससे की बन्दी को न्यायालय में लाने–ले जाने में असुविधा से बचा जा सके।

3. इसके अतिरिक्त दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 9 (6) की ओर भी ध्यान आकर्षित कराते हुए लेख है कि जहां कहीं यह प्रतीत हो कि उपरोक्त व्यवस्था में सुरक्षा की दृष्टि से न्यायालय का विचारण स्थल बदल कर किसी स्थान विशेष (जैसे कि उच्च सुरक्षा कारागार अथवा केन्द्र कारागार) में रखा जाना वांछनीय हो तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त जेल प्रशासन से परामर्श कर लोक अभियोजक के माध्यम से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करें।

11/9/15

(ए0 मुखोपाध्याय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपिः– निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
2. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर।
3. महानिदेशक, कारागार राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, अभियोजन विभाग।
5. सम्भागीय आयुक्त समस्त।
6. महानिरीक्षक, समस्त रेन्ज राजस्थान।
7. जिला मजिस्ट्रेट समस्त।
8. पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक समस्त।

11/9/2015

उप विधि परामर्शी